२.५-18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादी में कोई उपस्थित नहीं होने से सिर्फ बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद को डिक्री करने हेतु निवेदन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया तो वादग्रस्त भूमि का आवंटन का श्रीमान अतिरिक्त कलक्टर महो. जयपुर के निर्णय दि. २०-१०-०५ से निरस्त होकर सिवायचक दर्ज हो चुकी है एवं वर्ष २००५ में ही वादग्रस्त भूमि सिवायचक हो चुकी है तो दुरुस्ती का प्रश्न ही नहीं होता है। उपरोक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुये वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है अतः वादी का वाद खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक